(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–563–पीबीआर/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–02–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, गवालियर के प्रकरण क्रमांक–147/1999–2000

.....

कौशल किशोर पुत्र मनरीराम शर्मा
निवासी–नई बस्ती, पिछौर
जिला–शिवपुरी, म0प्र0

————————आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

————————अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-6-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 147/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 16–02–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में सी.पी. सी. के आदेश 26 नियम 9 सहपठित संहिता की धारा 32 के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया की नक्शा त्रुटिपूर्ण है। इसीलिये आवेदक ने संवत 1980 का नक्शा एवं खसरा मंगाकर एस0एल0आर0 शिवपुरी द्वारा नाम कराने हेतु निवेदन किया है । तहसील न्यायालय ने दिनांक 30.06.99 को बेदखली एवं आवेदक पर रुपये 800/– का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष

अपील प्रस्तुत की है जो आदेश दिनांक 29.10.99 को खारिज कर दी गई । इस आदेश से व्यथित होकर अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील एवं स्थगंन आदेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । अपर आयुक्त ने दिनांक 16.02.2000 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राह्य के बिन्दु पर श्रवण तो किया लेकिन स्थंगन का आवेदन अस्वीकार कर दिया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि, स्थंगन के प्रश्न पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विचार किया जाना होता है । जब आवेदक की अपील सुनवाई ग्राह्य की गई तब प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदक के पक्ष में है एवं विवादित भूमि पर विद्यालय भवन बना है इसलिये सुविधा संतुलन आवेदक के पक्ष में है और यदि स्थंगन खारिज किया जाता है ततथा विद्यालय भवन तोड़ दिया जाता है तब उस स्थिति में आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा स्थंगन आदेश प्रदान किया जाना चाहिये था । अपर आयुक्त ने प्रकरण में निहित मुद्दों पर विचार नहीं किया है । प्रकरण तहसील न्यायालय में लम्बे समय तक लंबित रहने मात्र से बिना अभिलेख का परीक्षण किए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि आवेदक ने अपने जवाब में स्पष्टयता इंकार किया है कि उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया है । अपीतु उसके भाई ने भूमि क्रय कर उसके भाई ने ही भवन निर्माण किया है, आवेदक तो उस भवन में विद्यालय चला रहा है । इसी प्रकार पटवारी का प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया । नक्शा त्रुटिपूर्ण है, सही नक्शें से भूमि की नाप नहीं कराई गई, भूमि शासकीय होना है। प्रमाणित करने का प्रमाण भार शासन पर था, जबकि आवेदक ने सही नक्शा से नाप कराने हेतु आवेदन भी किया था, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में स्थंगन आदेश से इंकार किया जाना नितांत अवैध है । ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में मुख्य रूप से इस आशय का उल्लेख किया है कि प्रकरण तहसील न्यायालय में दिनांक 11.09.97 को पंजीबद्ध

हुआ तथा आदेश दिनांक 31.05.99 तक अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिये है । वहॉ उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है । स्थंगन के बिन्दु पर प्रकरण का परीक्षण करने पर सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं पाया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.02.2000 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थंगन आवेदन पत्र अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,